

जिला प्रशासन ने एक्सप्रेस वे के लिए मांगा भू राजस्व मानचित्र पानीपत एक्सप्रेस वे 50 गांवों से गुजरना संभव

■ अभिमन्यु चौधरी

गोरखपुर। गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेस वे को जिले के 50 गांवों से होकर गुजरने की संभावना है। एक्सप्रेस वे के लिए तहसील सदर और कैंपियरगंज के गांवों में सर्वे किया गया है। अब एनएनएआई ने जिला प्रशासन से संबंधित गांवों का भू राजस्व मानचित्र मांगा है। इन गांवों की जमीनों के अनुसार तय होगा कि इधर से एक्सप्रेस वे बनाने पर कितनी लागत आएगी।

तहसील सदर के 31 और कैंपियरगंज के 19 गांवों से होते हुए पानीपत एक्सप्रेस वे बनाया जाना है। दोनों तहसीलों के भू राजस्व मानचित्र में पता चलेगा कि जमीन की प्रकृति कैसी है, जिधर से एक्सप्रेस वे बनाने की योजना है, उधर कितना कृषि क्षेत्र है और कितनी आबादी है। जमीन अधिग्रहण की कीमत पता चलेगी, उसके बाद एलाइमेंट तय करके डीपीआर बनाया जाएगा।

यदि इस एलाइमेंट के डीपीआर को मंजूरी मिली तो जगदीशपुर जंगल कौड़िया फोरलेन से एक्सप्रेस का जुड़ाव होगा। वहां से कुशीनगर और बिहार से आने-जाने में सुविधा मिलेगी। वहीं एक्सप्रेस वे नयनसर के पास



तहसील सदर के गांव

बढ़नी, सियारामपुर, महाराजगंज, ठाकुरपुर नंबर एक व दो, जंगल डुमरी नंबर एक, खुटहन खास, जंगल अयोध्या प्रसाद, खुटहन खास, एकला नंबर दो, साल्हपुर औरंगाबाद, एकला नंबर दो, अशरफपुर, मेहदिया, रसूलपुर गोनिया, रामपुर बुजुर्ग, जमुनिया, रामपुर थवईपार, आराजी बरवा, तेंदुआ, गंभीरपुर कम्हरिया, नबीपुर, परशुरामपुर, सोनराइच, सिधावल, पिपराइच, हरसेवकपुर, जोधपुर, महुआ खुर्द, भपुरवा, गौरा, राउतपुर।

गुजरेगा, वहां से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस पर आना-जाना आसान होगा। एक्सप्रेस वे को गोरखपुर के भटहट क्षेत्र से पिपराइच और पीपीगंज को जोड़ते हुए कैंपियरगंज की अन्य गांवों की ओर ले जाने की योजना है। एक्सप्रेस वे को सोनौली-गोरखपुर हाईवे क्रॉस करते हुए जाने की संभावना है।

■ डीपीआर बनाने के लिए तहसील सदर और कैंपियरगंज के गांवों का हुआ है चयन

कैंपियरगंज के गांव

हिरुआ, डुमरिया बाबू, कंदर खावा, लक्ष्मीपुर, बढ़या, चौक माफी, शाखी, बरघटा, नीबी, इटवा, बेलघाट बुजुर्ग, रमवापुर, नरायनपुर, रामघाट, नैनसर, रामपुर, जरहद एवं गायघाट।

५५ गोरखपुर - पानीपत एक्सप्रेस वे का डीपीआर बनाने के लिए एनएचएआई ने 50 गांवों के भू राजस्व मानचित्र मांगा है। मानचित्र उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
कृष्णा करुणेश, जिलाधिकारी

नियम के अनुसार डीपीआर बनाने वाली कंसल्टेंट्स एजेंसी एनएचएआई हेड क्वार्टर को तीन एलाइमेंट का डीपीआर प्रस्तुत करेगी, जिसमें लागत, दूरी और सुविधा के अनुसार एक डीपीआर को मंजूर किया जाएगा। एनएचएआई अधिकारियों के अनुसार यह एलाइमेंट गोरखपुर के लिए ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है।